सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के तहत आवेदन करने में ध्यान रखने वाली बातें–

1. कोई भी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है।
2. इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध/आवेदन, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम, से हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में, ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए

   (क) सम्बन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

   या

   (ख) यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

   को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिस्ट करते हुये अनुरोध करेगा।

3. अनुरोध के साथ आवेदन शुल्क रूपये 10/–
   1. नगद जमा कर मूल मनी रसीद,
   2. भारतीय पोस्टल आर्डर,
   3. बैंकर्स चेक, या
   4. डिमाण्ड ड्राफ्ट में से किसी एक माध्यम से सम्बन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम में से किसी एक माध्यम से जमा किया जाए।

4. अनुरोध में मांगी गई जानकारी का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण अंकित हो,
5. अनुरोध में मांगी गई जानकारी की मदें न्यूनतम हों, फैली हुई–विखरी (Voluminous information) की मांग न हो,
6. अनुरोध/आवेदन –पत्र में संयत, मर्यादित, संसदीय भाषा–शैली का प्रयोग किया जाए,
7. अनुरोध/–पत्र में पत्र –व्यवहार का पता, ई–मेल, फोन नं., पिनकोड़, फेक्स नं. इत्यादि स्पष्ट रूप से अंकित किये जाए।